

Fisheries GST & Tax Guide

Fisheries & Aquaculture

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग - तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

मछली/झींगा पालन और सीफूड व्यवसाय में कुछ बिक्री जीएसटी (GST) से मुक्त होती है और कुछ पर कर लगता है। यह टूल आपके कामों के आधार पर सही स्थिति समझाता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह तय करने में मदद करता है कि पंजीकरण (registration) चाहिए या नहीं, और सही तरीके से बिल कैसे बनाएँ।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

आउटपुट का उपयोग यह तय करने, दस्तावेज़ तैयार करने और पंजीकरण के बाद ताज़ा/असंसाधित (मुक्त) बनाम फ़ोज़न/ब्रांडेड/संसाधित (कर-योग्य) बिक्री को अलग-अलग सही बिल बनाने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

जीएसटी विभाग (केंद्रीय/राज्य GST), जीएसटी पोर्टल के माध्यम से।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

जीएसटी पोर्टल (gst.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें — PAN, व्यवसाय प्रमाण, बैंक और पते के दस्तावेज़ के साथ; अधिकारी स्पष्टीकरण माँग सकता है।

शुल्क और खर्च

पंजीकरण के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं; पेशेवर शुल्क लग सकता है।

इसकी जाँच किससे कराएँ

जीएसटी प्रैक्टिशनर या सीए (CA) — विशेषकर वर्गीकरण और place-of-supply के लिए।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

जीएसटी (GST) दरें और वर्गीकरण बदलते रहते हैं और ताज़ा बनाम संसाधित की सीमा विवादित हो सकती है। अपने उत्पादों के सही HSN और दर की पुष्टि किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर या सीए (CA) से करें।

साथ के दस्तावेज़

- Fisheries Licence Roadmap
- Coastal Aquaculture Authority Registration Guide
- MPEDA Registration Guide
- Fishing Vessel Registration Guide
- Seafood FSSAI Registration Guide
- CRZ Clearance Guide

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।